न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान — सरकार बनाम सुभाष चन्द

मुकदमा न. 11/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.06.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सुभाष चन्द पुत्र रामलाल रेपसवाल निवासी वार्ड नं. 1 कुदन तहसील सीकर मैसर्स— लोटस डेयरी बूथ 3301 हाल— लोटस डेयरी चिलिंग प्लांट बीकानेर बाईपास गोकुलपुरा जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ—966 खाद्य पदार्थ मिक्स दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी सुभाषचन्द के 5,000/— रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official